284

संख्याः 286 / xxvii(7)09(13) / 2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनांकः 18 अप्रैल, 2013

विषयः–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानातंरित हुए पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के संबंध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानातंरित किये गये है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की व्यवस्था की गई है।

2– राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा जिज्ञासा की गई है कि चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याः 679 / चि0–3–2009–437 / 2002 दिनांक 04–09–2006 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हुए 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष, 40,000 से अधिक तथा किन्तु 1 लाख तक विभागाध्यक्ष, 1 लाख से अधिक किन्तु 2 लाख तक शासन के प्रशासकीय विभाग तथा 2 लाख से अधिक शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से किये जाने की व्यवस्था की गई है किन्तु वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः286 / xxvii(7)09(ii) / 2011 दिनांक 30–12–2011 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों के माध्यम से किये जाने में उन सेवानिवृत्त पेंशनर्सो जिनके दावों का भुगतान 40,000 से कम है उन्हें भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04–09–2006 में उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों / सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे के भुगतान के संबंध में 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ताधिकारी घोषित किये गये है।

3– उक्त के संबंध में सेवानिवृत्त पेंशनर्स संघो द्वारा की गई जिज्ञासा के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निणर्य लिया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स

जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानातंरित किये गये है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है तथा जिनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 40,000 तक हैं, उनके संबंध में स्वीकर्ताधिकारी विभागाध्यक्ष के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष होगें, किन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावो का भुगतान अंतरराज्जीय समायोजन के माध्यम से किये जायेंगें।

4– वित्त विभाग का शासनादेश संख्या:286 / XXVII(7)09(II) / 2011 दिनांक 30–12–2011 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 184 (1)/ xxvii(7)09(13)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तरप्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
8. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक लेखा, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमांऊ।
11. रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12. उत्तराखण्ड सचिवालच के समस्त अनुभाग।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्राणालय रूड़की।
15. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
16. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0शुक्ल)
अपर सचिव।